

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY

CLIPPING SERVICE



NEW DELHI | TUESDAY | OCTOBER 8, 2024

NAME OF NEWSPAPERS _____

DATED _____

Zomato delivery agent mowed down by speeding vehicle in Delhi

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

A 27-year-old Zomato delivery agent died after he was mowed down by a speeding vehicle while crossing a road on Outer Ring Road in south-west Delhi early Monday.

According to the police on Monday, the delivery agent has been identified as Harendra, a resident of RK Puram's Sector-1, who was working with online food delivery app Zomato.

DCP (South West) Surendra Choudhary said, "On Monday at about 2:45 am, a PCR call regarding an accident on Outer Ring at an underpass foot bridge near DDA Flats Gate in Munirka was received. The police team reached there and found that a person who was crossing the road was hit by an unknown vehicle and ran away from the spot."

Police officials said initial probe suggested that the accident took place when Harendra parked his motorcycle and was crossing the



road on foot. He was hit by a vehicle, whose driver immediately fled the spot. "The officer said an FIR has been lodged in the matter at Kishangarh Police Station and postmortem of the body is being conducted. A case under section 281(1) (Rash driving or riding on a public way) and 106(1) (Causing death by negligence) of BNS at Kishangarh police station has been registered. Post mortem of the deceased is being conducted. The injured man was rushed to Safdarjung Hospital, where he

was declared brought dead, the officials said. "Harendra is survived by a wife and their six-month-old son. His father is working in DDA as a fourth grade employee. During the initial inquiry, the team identified the offending vehicle. The accused will be nabbed soon," the DCP said. According to the police data, a total of 1,031 persons were killed in fatal road accidents from January 1 to September 15 this year, of the total 3,894 road accidents in the national capital in the period.

THE HINDU

Tuesday, October 8, 2024
DELHI

Rani Lakshmi Bai's statue hasn't endangered prayer rights at Shahi Idgah Park, HC told

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Civic agencies on Monday told the Delhi High Court that the installation of a statue of freedom fighter Rani Lakshmi Bai at Shahi Idgah Park in Sadar Bazar

has not in any manner endangered the rights of people who offer prayers there.

After hearing the counsel for the Delhi Development Authority (DDA) and the Municipal Corporation of Delhi, the court dis-

posed of the plea filed by the Shahi Idgah Managing Committee challenging the installation of the statue, claiming that it was installed on Waqf Board property.

The court noted that the issue had been mutually re-

solved by the parties.

The urban body and the municipality had submitted that the statue was "installed at one corner of the park owned by the DDA, and that too after the construction of a boundary wall".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost

NAME OF NEWSPAPERS----- NEW DELHI | TUESDAY, 8 OCTOBER, 2024

Zomato delivery personnel killed in Outer Ring Road hit-and-run

PRAJYOT DEOGHARE

NEW DELHI: A 27-year-old Zomato delivery boy has died in a fatal hit-and-run accident that occurred on Outer Ring Road near the footbridge by DDA Flats Gate in south west Delhi's Munirka in the early hours of Monday morning.

The police were alerted about the incident through a PCR call at the Kishangarh Police Station.

The deceased was identified as Harendra (27) son of Suresh Chand Sharma resident of RK Puram, New Delhi.

According to the police, the incident was reported to the Delhi Police at approximately 2:45 am, when a PCR call alerted the authorities about a pedestrian being struck by an unknown vehicle that fled the scene.

The victim was crossing the road when he was hit. Harendra was rushed to Safdarjung Hospital but was declared brought dead upon arrival.

Takeaways

- The victim was crossing the road when he was hit. Harendra was rushed to Safdarjung Hosp but was declared brought dead
- Harendra, who worked as a delivery boy for Zomato, leaves behind a young family

Harendra, who worked as a delivery boy for Zomato, leaves behind a young family. He is survived by his wife, Chetna, who is a homemaker, and their 6-month-old son.

His father, Suresh Chand Sharma, is employed with the Delhi Development Authority (DDA) as a Class 4 worker.

The initial investigations into the accident have led to the identification of the offending vehicle, though the driver remains at large.

The investigation is being conducted by officers from the Kishangarh Police Station, South West District, under whose jurisdiction the incident falls.

A case has been registered under sections 281(1) and 106(1) of the BNS PS Kishangarh, following the registration of the first information report (FIR). The post-mortem of the deceased is currently underway.

Authorities are continuing their probe into the hit-and-run, and efforts are being made to apprehend the driver responsible for the fatal accident.

The police are also reviewing CCTV footage from nearby areas to gather more information about the vehicle and driver involved. The victim's family has been informed, and they are currently in mourning.

Hit-and-run cases are increasingly becoming a serious concern in Delhi, with numerous incidents resulting in severe injuries and fatalities.

AT SHAHI IDGAH PARK

'Lakshmi Bai statue's installation won't endanger prayer rights'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi High Court was on Monday informed by civic authorities that the rights of persons offering prayers at the Shahi Idgah Park at Sadar Bazar here would not be endangered by the installation of freedom fighter Maharani Lakshmi Bai's statue.

The court was also informed that the statue has

been installed by the Municipal Corporation of Delhi (MCD) at the park.

A bench of Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela consequently disposed of a plea filed by the Shahi Idgah Managing Committee challenging the installation of the freedom fighter's statue noting that the issue had been mutually resolved by the parties.

The committee had moved against a single judge's order that refused directions to restrain the installation of the statue of the historical figure.

During the hearing, the counsel appearing for the Delhi Development Authority (DDA) and MCD said that the rights of persons offering prayers at the site in question had not been endangered by the installation of the statue

and the adjoining boundary wall.

Following the submissions, the bench recorded it and disposed of the appeal.

"The counsel for DDA and MCD state that the appeal has become infructuous as the statue of Maharani Lakshmi Bai has been installed at one corner of the Idgah Park, owned by DDA, and that too after con-

struction of a boundary wall. They clarified that the right of the appellant to offer prayers and perform prayers is not endangered in any manner by the installation of the statue or the boundary wall," the bench noted.

The appellant's counsel informed the bench that the mistrust that had brewed between the parties had been resolved.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, OCTOBER 8, 2024

-DATED-

HC disposes of statue plea after DDA, MCD assurance

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Monday ended a dispute over the installation of freedom fighter Maharani Lakshmi Bai's statue at the Shahi Idgah Park in Sadar Bazar.

It disposed of a plea in this regard after DDA and MCD assured it that the rights to perform prayers or any religious rites would not be endangered in any way due to the installation of the statue.

MCD informed the bench of Chief Justice Manmohan and justice Tushar Rao Gedela that the statue had been installed by the MCD in a park owned by DDA. On its part, the petitioner, Shahi Idgah Managing Committee, submitted that the mistrust that had brewed had been resolved due to the court's intervention. The committee had earlier challenged the installa-

tion of the freedom fighter's statue.

During the hearing, the counsel appearing for the Delhi Development Authority (DDA) and MCD stated that the rights of persons offering prayers at the site in question had not been endangered by the installation of the statue and the adjoining boundary wall. Following the submissions, the bench recorded it and disposed of the appeal.

"The counsel for DDA and MCD stated that the appeal has become infructuous as the statue of Maharani Lakshmi Bai has been installed at one corner of the Idgah Park, owned by DDA, and that too after the construction of a boundary wall. They clarified that the right of the appellant to offer prayers and perform prayers is not endangered in any manner by the installation of the statue or the boundary wall," the bench noted.

Food Delivery Agent Killed In Hit And Run

Did Two Jobs, Slept Less For Family's Future

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A food delivery agent died after he was hit by a vehicle near southwest Delhi's Munirka on Monday. He was crossing the road when the accident occurred. Police are investigating whether he was on the job or was going to have tea from a nearby stall.

The deceased was identified as Harendra, who lived with his family in RK Puram.

Police received a PCR call at 2.45 am. A team from the local police station rushed to the spot, which was near DDA flats on Outer Ring Road.

"Upon arrival, we found that Harendra had been struck by an unknown vehicle. He was rushed to Safdarjung Hospital but was declared dead upon arrival," police said.

During initial investigations, the offending vehicle was identified and a case under sections 281(1) (rash dri-



CRUEL END: Harendra lived with his family in RK Puram

ving or riding on a public way) and 106(1) (causing death by negligence) of Bharatiya Nyaya Sanhita was registered at the Kishangarh police station. Teams have been formed to crack the case. They are scanning the CCTV footage to ascertain the routes taken by the accused to flee, police said.

Harendra is survived by his wife, Chetna, and their six-month-old son. His father, Suresh Chand Sharma, works in DDA. His untimely death

has left his family in grief. Authorities have urged anyone with information to come forward and assist in the investigation.

Harendra's elder brother, Deepak, explained that the former worked as a multipurpose health worker at a hospital in south Delhi. He worked as a food delivery agent at night. "He only used to sleep for a few hours," Deepak said.

"Being the breadwinner, Harendra wanted to ensure a better life for his wife and child. He recently became a father and worked diligently to earn more money and give his family a comfortable future," he added.

On Monday morning, the family received a devastating phone call from police about the accident. His wife and other members of the family rushed to the hospital, only to be met with the heartbreaking news of Harendra's death.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

Hindustan Times

NEW DELHI
TUESDAY
OCTOBER 08, 2024

CBI charge sheet against six in Old Rajendra Ngr case

Shruti Kakkar

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Central Bureau of Investigation (CBI) on Monday told the Delhi high court that it has filed a charge sheet against six accused in the case of deaths of three civil services aspirants in a coaching centre's basement in Old Rajendra Nagar in July.

CBI's counsel also submitted before a bench led by chief justice Manmohan that its probe against statutory officials was in progress and the agency was also scrutinising the documents seized during the search and seizure operations carried by it.

The counsel told a bench also comprising justice Tushar Rao Gedela that it did not include driver Manoj Kathuria's name in the charge sheet, filed on September 26, as it could not attribute any criminality to him.

The six accused, including the centre's owners and employees, are currently out on bail.

CBI's submission came in response to a plea filed by advocate Rudra Vikram Singh, representing Kutumb, a social organisation, seeking a high-level committee to probe the July 27 drownings in the basement library of Rau's IAS Study Circle.

The petition also highlighted the "dire living conditions" of students around coaching institutes, describing them as a "living hell," and alleged widespread illegal commercial activities in

residential areas of Delhi, enabled by bribes and corruption within MCD, Delhi Development Authority (DDA) and the Delhi government.

During the hearing, Dalvin J Suresh, the father of one of the deceased student Nevin Delvin, alleged that the probe agency was not conducting the investigation in a fair manner, as it had neither arrested one of the partners of coaching centre, nor questioned any statutory official. But the court brushed aside the contention, saying it had added a "supervisory layer" by asking Central Vigilance Commission (CVC) to monitor CBI's probe.

"As far as arrest or non-arrest is concerned, let's leave it to IO. The aspect of corruption is considered and we have put them directly under the charge of CVC... CVC is not under the CBI, we have put in place a system of checks and balances. It has been monitored, it will be monitored," the court said to the counsel who appeared for the kin.

While transferring the probe, the court had also constituted a panel headed by the chief secretary to relook at the administrative, physical and financial infrastructure of the capital and submit its report within eight weeks.

Meanwhile, the Delhi government's counsel sought four weeks more to submit a report prepared by the chief secretary on the administrative, physical and financial infrastructure.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

NAME OF NEWSPAPERS-----

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024

DATED-----

सीमा पर ही लगेंगे बाहरी राज्यों की 2,000 बसों के ब्रेक, बनेंगे तीन नए आइएसबीटी नरेला, द्वारका और टिकरी बार्डर में बनेंगे बस अड्डे


वीके शुक्ला • जागरण

नई दिल्ली: अगर सभी कुछ ठीक रहा और परियोजनाओं के बीच कोई अड़चन नहीं आई तो आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली को तीन नए आइएसबीटी मिलने जा रहे हैं। इन्हें बनाए जाने का उद्देश्य दूसरे राज्यों की बसों को दिल्ली शहर के अंदर प्रवेश न करने देना है। इससे प्रदूषण कम होने के साथ ही खासकर कश्मीरी गेट को जाम से भी बड़ी राहत मिल सकेगी। इन तीनों आइएसबीटी को टिकरी बार्डर, नरेला और द्वारका-21 में बनाया जाएगा। इनके बनने से बाहरी राज्यों की प्रतिदिन 2,000 बसें दिल्ली शहर के अंदर आने से रुकेंगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीआइडीसी) ने इसमें से द्वारका आइएसबीटी के लिए डीएमआरसी को सलाहकार कंपनी नियुक्त कर दिया है। टिकरी बार्डर के लिए भूमि लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है और नरेला की भूमि पर कब्जा हो जाने की वजह दूसरा स्थान खोजा जा रहा है।

दिल्ली सरकार और एलजी की इन परियोजनाओं पर सहमति है और उनके संयुक्त प्रयास से परियोजना आगे बढ़ रही है। गत दिनों एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोट की मौजूदगी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह साफ कर दिया गया कि इन मुद्दों पर तेजी से काम किया जाए। इसमें से नरेला

• द्वारका आइएसबीटी के लिए डीएमआरसी को नियुक्त किया गया सलाहकार कंपनी

• टिकरी बार्डर आइएसबीटी के लिए पीडब्ल्यूडी ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी



कश्मीरी गेट बस अड्डे के समीप लगे जाम में रेंगते वाहन • चंद्र प्रकाश मिश्र

और द्वारका की परियोजनाएं बहुत पुरानी हैं, जिनकी फाइलें धूल फांक रही थीं तथा टिकरी बार्डर की नई योजना सामने आई है। जमीन में व्यवधान आ जाने पर एलजी के निर्देश पर डीडीए ने नरेला आइएसबीटी के लिए नए भूखंड की तलाश तेज कर दी है।

इन परियोजनाओं पर परिवहन विभाग के अंतर्गत डीटीआइडीसी इस पर काम कर रहा है। इन तीनों को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड में डीएमआरसी के माध्यम से चलाए जाने की योजना है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इनके बनने पर दिल्ली में प्राइवेट और सरकारी

मिलाकर कम से कम 2,000 बसों के शहर में आने पर रोक लग सकेगी।

अभी आइएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार व सराय काले खां से 3,500 अंतरराज्यीय बस ट्रिप प्रतिदिन लगाए जाते हैं और 2,000 लोकल बस के ट्रिप भी लगाए जाते हैं। यहां से मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर जम्मू-कश्मीर तक के लिए बसें चलती हैं।

स्वागतयोग्य योजना » संपादकीय

आइएसबीटी की स्थिति

नरेला आइएसबीटी

इसे एक लाख वर्ग मीटर की भूमि पर विकसित किया जाना है। वर्षों पर पहले आवंटित भूमि के कब्जा मुक्त नहीं होने से अब एलजी के निर्देश के बाद डीडीए द्वारा दूसरे स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। डीडीए की इस जमीन के 50 प्रतिशत हिस्से पर अतिक्रमण है।

द्वारका आइएसबीटी

द्वारका सेक्टर-21 में मेट्रो स्टेशन के सामने बनने वाले आइएसबीटी के लिए चारदीवारी कराई जा चुकी है। यहां जमीन का लेकर अड़चन नहीं है। कुछ समय पहले ही डीटीआइडीसी ने इस आइएसबीटी को बनाने के लिए डीएमआरसी को सलाहकार को नियुक्त किया है। जल्द इस योजना के आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसे 27 एकड़ में बनाया जाना है। इसका काम 2022 में शुरू किया जाना था, मगर इसका काम शुरू हो पाने में देरी हुई है।

टिकरी बार्डर आइएसबीटी

टिकरी बार्डर पर 29,500 वर्ग मीटर में जिस जमीन पर इस आइएसबीटी को बनाया जाना है यह भूमि पीडब्ल्यूडी के पास है। पीडब्ल्यूडी ने इस जमीन को आइएसबीटी को देने के लिए सहमति दे दी है। गत दिनों इस मुद्दे को लेकर हुई बैठक के बाद जमीन हस्तांतरण के मुद्दे पर काम शुरू हो गया है। हरियाणा से सिंधु और टिकरी बार्डर के रास्ते आ रही बसों को यहां रोक दिया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- **दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024 D-----

दो साल का दावा, आठ माह में उखड़ गए सुंदरीकरण के लगे पत्थर

सुंदरीकरण के लिए उपराज्यपाल ने जारी किया था 182 करोड़ का बजट, खर्च हुए 90 करोड़, नहीं हो रहा मरम्मत कार्य


जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: नेहरू प्लेस मार्केट एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर हार्डवेयर का बाजार है। सालाना करीब पांच हजार करोड़ का राजस्व सरकार को यहां से मिलता है। करीब आठ महीने पहले इसके सुंदरीकरण के लिए उपराज्यपाल ने 182 करोड़ रुपये का बजट दिया था। डीडीए ने 90 करोड़ रुपये खर्च भी किए। फर्श और पहली मंजिल पर ग्रेनाइट बिछाया गया, पार्किंग में ब्रिक्स बिछाए गए। काम की गारंटी दो वर्ष की थी, लेकिन लगाए गए पत्थर आठ महीने भी चल नहीं पाए। जगह-जगह से पत्थर उखड़ने लगे हैं। दीवारें पान मसालों से बदरंग हैं। सीढ़ियां टूट रही हैं, जिससे लोग चोटिल हो भी रहे हैं। मार्केट एसोसिएशन से लेकर दुकानदार तक शिकायत दर शिकायत कर रहे हैं पर न तो मरम्मत की जा रही है और न ही बचे हुए काम पूरे किए जा रहे हैं।



नेहरू प्लेस मार्केट में आठ महीने में ही टूट गए सीढ़ियों पर लगे पत्थर - जगदण

जनसरोकार बाजार का हाल

- नेहरू प्लेस मार्केट में डीडीए ने लगाए थे फर्श पर ग्रेनाइट, बनाए थे स्काइवाक
- उपराज्यपाल ने दिया था 182 करोड़ का बजट, खर्च किए 90 करोड़
- मार्केट जाने वाले मुख्य मार्ग के फुटपाथों पर बेघरों ने भी कर रखा है कब्जा, दुकानदार परेशान किससे करें शिकायत



नेहरू प्लेस मार्केट स्थित मेन रोड के फुटपाथ पर बेघरों ने कर रखा है कब्जा - जगदण

आठ महीने में ही फर्श और सीढ़ियों पर लगे ग्रेनाइट पत्थर उखड़ने लगे हैं। बरामदों में बिछाए गए पत्थरों का लेवल सही नहीं रखा गया। कहीं समतल तो कहीं दो इंच ऊंचा कर दिया। सीढ़ियों के बीच का अंतराल भी असमान है। अक्सर बुजुर्ग चोटिल होते रहते हैं। दुकानदारों ने बताया कि मार्केट में जो सीसीटीवी

कैमरे लगे भी हैं, वे भी सही से काम नहीं करते। रात में दुकानों के बाहर एसी के कापर चापर चोर

काट ले जाते हैं। बीते रविवार को सुबह पांच बजे भी तीन दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश हुई। रात में

पुलिस को गश्त को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। इन समस्याओं का समाधान कब होगा पता नहीं।

अधिकारी का पक्ष

डीडीए के मूकबिंदु पत्थर टूटने और उखड़ने को लेकर शिकायतें मिली हैं। जो भी पत्थर टूट है, उनको अगले एच-डी हमले में बदला जाएगा। अगले एक साल तक मैटेनंस का काम विभाग को देटना है। मार्केट में विमान से स्क्विज जो भी शिकायतें हैं, उनका स्वतंत्र पर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। दीवारों पर जहां भी पान-मसाले की दीक है, उन पर स्पॉई-पुनर्निर्माण कराया जाएगा। सिविलीय और बुजुर्गों के लिए बने रैप पर बैरियर लगाए हैं, फिर भी बाइक अंदर तक लटक लाने आते हैं।

बढ़े न हो समस्या का हल:

दैनिक जागरण आपके नुस्ते को उठा रहा है। आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा है तो डीडीए के हेल्पलाइन नंबर 18001103332, दक्षिण दिल्ली नगर निगम कार्यालय के टूरफोन नंबर 011-47501986 के साथ ही दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर भी शिकायत की जा सकती है।

समस्या से प्रभावित लोगों की राय

मार्केट में कुछ लोगों ने दुकान के आगे हाथक लगा रखे हैं। दिनभर ये लोग शोर मचाते हैं। गलियों में ग्राहक से ज्यादा हाथक धुमते हैं, जिससे ग्राहकों को परेशानी होती है।

-सुमित नारंग, दुकानदार

मार्केट में कोई ऐसी जगह नहीं, जहां लोगों ने पान-मसाले खाकर थूक न हो। दीवारें लाल हो रहीं हैं। गदगी जमा है। किसी को मना करो तो वह झगड़ने लगता है। आखिरकार दुकानदार किसको और किनना मना करें। लोगों को खुद भी सोचना चाहिए।

-प्रदीप शर्मा, दुकानदार

पार्किंग की बड़ी समस्या है। इससे दुकानदार भी परेशान हैं। खरीदारी करने वालों परेशानी होती है कि वह अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करें। मुश्किल से जगह मिल भी गई तो वापसी के दौरान वाहन निकालने में ही आधा घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है।

-फूलचंद, दुकानदार

साफ-सफाई का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न जहां झाड़ू लगती है और न ही समय पर कचरा उठता है। कचरा बिखरा रहता है। वहीं जितने रैन वाटर हार्वीरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, सब दिखावे के हैं।

-वीरेंद्र कुमार, दुकानदार

हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। देशभर से लोग यहां आते हैं। वाहन पार्क करने को लेकर भारी अव्यवस्था है। वाटर कुलर नहीं लगाए हैं। प्यास लगाने पर लोग भटकते हैं। बुजुर्गों या दिव्यांगजनों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है।

-चंद्रशेखर, दुकानदार

सुंदरीकरण के लिए जो पत्थर लगाए गए थे, वो कई जगहों पर टूटने लगे हैं। सीढ़ियों और बारामदों पर कई जगह से पत्थर उखड़ चुके हैं। सीढ़ियां टूटी हैं। टोकर लगाने से लोग चोटिल हो रहे हैं। इस्टबिन फुल होकर कचरा आस-पास बिखरा रहता है।

-निविन, दुकानदार

यहां चोरी का डर बना रहता है। आस-पास बागड़ी लोगों का बसेरा है। घूम-घूमकर दुकानों की रेकी करते हैं। फिर रात में मौका मिलते ही चोरी करते हैं। पुलिस भी इनसे परेशान है। इन्हें पकड़ती है, हटाती है, फिर भी ये लोग मार्केट आ जाते हैं।

-प्रमोद अहूजा, दुकानदार

मार्केट में अंदर कोई टॉयलेट नहीं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं व बुजुर्गों को होती है। बाहर एमसीडी का शौचालय है, जो शाम के समय बंद हो जाता है। इसका रख-रखाव सही न होने से गदगी बनी हुई है। शिकायतों पर भी कोई सुनवाई नहीं होती।

-अलका जैन, दुकानदार

बहुत नाम है इस मार्केट का, लेकिन फिर भी यह सीढ़ियों से लेकर बारामदी व पार्किंग तक गंदगी बिखरी रहती है। जहां-तहां लोगों ने पान-मसाले खाकर थूक दिए हैं। दीवारों-सीढ़ियों की सूरत बिगाड़ रखी है। दुकानदार पहले खुद पर रोक लगाए।

-पिबेन्द्र सिंह, ग्राहक

दुकानदारों के पास पानी का बिल तो आता है पर मार्केट में किसी के पास पानी नहीं पहुंचता। मजबूरी में प्राइवेट टैक्सो से पानी मागना पड़ता है। कचरा फैलने के लिए बहुत ही कम सख्ता में इस्टबिन लगे हैं, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

-अमित कुमार जैन, दुकानदार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2024 दैनिक जागरण TED

रानी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित, नमाज का अधिकार रहेगा सुरक्षित

● अपीलकर्ता
ईदगाह समिति
की तरफ से पेश
हुए अधिवक्ता ने
दिल्ली हाई कोर्ट
पीठ के समक्ष
कहा कि दोनों
पक्षों के बीच पैदा
हुए अविश्वास
को सुलझा लिया
गया है



ईदगाह पार्क में लगाई गई रानी लक्ष्मी बाई की प्रतिमा ● सुब कुमाठ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: ईदगाह पार्क में स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना का विवाद समाप्त हो गया। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। साथ ही यह भी कहा कि इससे सदर बाजार के शाही ईदगाह पार्क में नमाज अदा करने वाले व्यक्तियों के अधिकार खतरे में नहीं पड़ेंगे। इन तथ्यों को

रिकार्ड पर लेते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति तुषार राय गेडेला की पीठ ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति की अपील याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि मुद्दे को दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया है।

ईदगाह समिति ने मामले पर विचार करने से इनकार करने के एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने प्रतिमा की स्थापना पर रोक लगाने का निर्देश

देने से इनकार कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण और एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि कानून और आसपास की चारदीवारी बनाने से संबंधित स्थल पर प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के अधिकार खतरे में नहीं पड़े हैं। अपीलकर्ता ईदगाह समिति की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने पीठ के समक्ष कहा कि पक्षों के बीच पैदा हुए अविश्वास को सुलझा लिया गया है।

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | मंगलवार, 8 अक्टूबर 2024


ईदगाह पार्क में मूर्ति धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट को सोमवार को सिविल अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना से यहां सदर बाजार में शाही ईदगाह पार्क में नमाज अदा करने वाले लोगों के अधिकार खतरे में नहीं पड़ेंगे। कोर्ट को इस बात से भी अवगत कराया गया कि पार्क में मूर्ति एमसीडी द्वारा स्थापित की गई है। चांफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राय गेडेला की बेंच ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका का यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि इस मुद्दे को पार्टियों ने आपसी सहमति से सुलझा लिया है।

समिति ने सिंगल बेंच के उस आदेश को यहां चुनौती दी थी जिसमें ऐतिहासिक शक्तिमयन की प्रतिमा लगाने पर रोक लगाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया। सुनवाई के दौरान डीडीए और एमसीडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि पब्लिक पार्क के कोने में और वाइंडी वॉल की आड़ के साथ प्रतिमा लगाने से वहां नमाज पढ़ने वाले व्यक्तियों के अधिकार खतरे में नहीं पड़ेंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को दलीलों को दर्ज किया और अपील का निपटारा कर दिया।

डीडीए और एमसीडी के वकील का कहना था कि अपील निरर्थक हो गई है, क्योंकि डीडीए के स्वामित्व वाले ईदगाह पार्क के एक कोने पर महारानी लक्ष्मीबाई



की मूर्ति स्थापित की गई है और वह भी एक चारदीवारी के निर्माण के बाद। बेंच ने

कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि मूर्ति या चारदीवारी की स्थापना से अपीलकर्ता के पूजा-अर्चना करने के अधिकार को किसी भी तरह से खतरा नहीं है। अपीलकर्ता के वकील ने बेंच को सूचित किया कि पक्षों के बीच पैदा हुए अविश्वास को सुलझा लिया गया है।

हाई कोर्ट ने पहले एमसीडी द्वारा पार्क में मूर्ति की स्थापना के विरोध पर सवाल उठाया था और कहा था कि वह नहीं चाहता था कि यह मुद्दा बेवजह विवाद का विषय बने। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जिसकी मूर्ति स्थापित की गई, वह धार्मिक नहीं, बल्कि नैशनल हीरो है और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से डिलिवरी बाँय की मौत

■ एनबीटी न्यूज, नई दिल्ली

साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ इलाके में रविवार देर रात तेज रफ्तार कार ने एक ऑनलाइन फूड ऐप के डिलीवरी बाँय को टक्कर मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पहचान आरके पुरम निवासी हरेंद्र (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रही है।

डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार, मृतक हरेंद्र परिवार के साथ आरके पुरम में रहते थे। परिवार में पत्नी के अलावा एक छह महीने का बेटा है। पत्नी हाउसमेकर है। इसके अलावा मृतक के



हरेंद्र का फाइल फोटो

पिता डीडीए में ग्रुप डी के कर्मचारी हैं। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि वह Zomato में डिलीवरी पार्टनर का काम करते थे।

पुलिस के मुताबिक, रविवार रात 2.45 बजे मुनिरका के पास फुटओवर ब्रिज के नीचे हादसे की पोसीआर कॉल मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल पर एक युवक को घायल हालत में देखा। जिसे पुलिस ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित

रविवार देर रात की घटना, पुलिस कर रही है फरार आरोपी की तलाश
● मृतक के पहचान आरके पुरम निवासी हरेंद्र (27) के रूप में हुई है
● परिवार में पत्नी के अलावा छह महीने का एक बेटा है

कर दिया। पुलिस ने क्राइम व फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस सूत्रों की माने तो हादसे के वक्त पीड़ित अपनी बाइक सड़क के एक किनारे खड़ी करके सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि कार की पहचान कर ली गई है। फिलहाल किशनगढ़ थाना पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, मंगलवार, 8 अक्टूबर 2024

DATED

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.एन. संख्या-07/2024/पीबी-1/डीडीए

शुद्धिपत्र

प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर मुख्य विधि सलाहकार के पद को भरने के लिए रिक्ति सूचना सं. 07/2024/पीबी-1/डीडीए दिनांक 10.07.2024 के संदर्भ में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा" पढ़ा जाए।

आयुक्त (कार्मिक)

डीडीए की वेबसाइट: www.dda.gov.in जाएं या टोल फ्री नंबर dial 18800110332 डायल करें
फॉलो करें: [@ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [@official_dda](https://twitter.com/official_dda) [@official_dda](https://www.instagram.com/official_dda)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

वी.नं. 10/2024/पीबी-1/डीडीए

रिक्ति सूचना

मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सी एस ओ) के 01 पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ) के 01 पद को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। प्रतिनियुक्ति के पात्रता मानदंड और अन्य नियमों और शर्तों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार पत्रों में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन है।

विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in (लिंक जॉब्स) पर जाएं।

आयुक्त (कार्मिक)

फॉलो करें: [@ddaofficial](https://www.facebook.com/ddaofficial) [@official_dda](https://twitter.com/official_dda) [@official_dda](https://www.instagram.com/official_dda) टोल फ्री नंबर 1800-110332

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS **Hindustan Times** NEW DELHI
TUESDAY
OCTOBER 08, 2024

 **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**

V.No. 10/2024/PB-I/DDA

VACANCY NOTICE

Notice For Inviting Applications For Filling 01 Post of Chief Security Officer (CSO)


DDA invites applications on the prescribed format from the eligible officers for filling up 01 post of Chief Security Officer (CSO), in Level-11 in the Pay Matrix as per 7th CPC on deputation basis. For eligibility criteria and other terms and conditions of deputation, kindly visit DDA's website www.dda.gov.in.

The last date of receipt of application is **30 days** from date of publication of this advertisement in the newspapers.

For detailed terms and conditions, kindly visit DDA's website www.dda.gov.in (link Jobs).

Commissioner (Personnel)

Follow us on  @ddaofficial  @official_dda  @official_dda or Dial Toll Free No. 1800-110332

 **DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**




V.N. No-07/2024/PB-I/DDA

CORRIGENDUM

In reference to the vacancy notice No - 07/2024/PB-I/DDA dated 10.07.2024 for filling the post of Addl. Chief Legal Advisor on deputation basis, "Transfer of deputation will be initially for the period of Three years" may be read as Transfer on deputation will be initially for a period of one year.

Commissioner (Personnel)

Visit DDA's website-www.dda.gov.in or dial Toll Free No. 18800110332

Follow us on:  @ddaofficial  @official_dda  @official_dda